

प्रेस नोट,

दिनांक 17.11.2024, थाना कटराबाजार

जनपद गोण्डा।

अन्तर्जनपदीय 02 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की कई घटनाओं का सफल अनावरण, कब्जे से चोरी के रू0 9800/- नगद व सोने चाँदी के जेवरात बरामद।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-374/24, धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस थाना कटराबाजार, 02. मु0अ0सं0-468/24, धारा 331(4), 305 बीएनएस थाना मनकापुर, 03. मु0अ0सं0-133/24, धारा 331(4), 305(ए), 317(5) भादवि थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित घटनाओं में संलिप्त चोर - 01. कमलेश चौहान, 02. प्रिंस सोनी को श्रीनगर चौराहा थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच क पास नहर पटरी से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के रू0 9800/- नगद व सोने चाँदी के जेवरात बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.10.2024 को वादी संतोष सोनी पुत्र नन्हे लाल सोनी निवासी ग्राम व पोस्ट पहाडापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटराबाजार में सूचना दी गयी कि दिनांक 05-06.10.2024 की मध्य रात्रि उसकी नरायपुर कला बाजार में स्थित श्री आस्था जैवलर्स के नाम की दुकान से अज्ञात चोरो द्वारा सटर तोड़कर दुकान में रखे समान तथा तिजोरी से चाँदी के आभूषण चुरा ले गये है। उक्त सूचना पर थाना कटराबाजार में 0अ0सं0-374/24, धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात के अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 17.10.2024 को विवेचना के दौरान सी0सी0टी0वी फुटेज, अन्य तकनीकी व मैनुअल साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में घटना में संलिप्त चोर - 01. कमलेश चौहान, 02. प्रिंस सोनी को श्रीनगर चौराहा थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच क पास नहर पटरी से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के रू0 9800/- नगद व सोने चाँदी के जेवरात बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

कड़ाई से पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 05-06.10.2024 की रात्रि नरायपुर कला बाजार में स्थित जैवलर्स की दुकान सटर तोड़कर दुकान में रखे आभूषण चुरा ले गये थे। तथा 10-11.11.2024 की रात्रि गुरफआत्मा जोत जायसवाल मार्केट सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर में चोरी किया था। 16-17.09.2024 की रात्रि में दतौली थाना मनकापुर जनपद गोण्डा मे स्थित एक घर में चोरी किये थे। इन चोरी में मिले कीमती आभूषण को जय अम्बे सतीश ज्वैलर्स के मालिक प्रिंस सोनी पुत्र नन्हा सोनी को बेचकर जो रूपये मिला थे खाने पीने में खर्च हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. कमलेश चौहान पुत्र रामगोपाल चौहान उर्फ गोपाले निवासी ग्राम बबया मौजा रुकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच।
02. प्रिंस सोनी पुत्र नन्हा सोनी निवासी ग्राम भूपगंज बाजार थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-374/24, धारा 331(4), 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-468/24, धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-133/24, धारा 331(4), 305(ए), 317(5) भादवि थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर।

बरामदगी

01. चोरी की रूपये 9800/- नगद
02. 01 जोड़ी हथेली (सफेद धातु)
03. 01 जोड़ी बाजू बन्द(सफेद धातु)
04. 29 अदद बिछिया (सफेद धातु)
- 05 01 जोड़ी विछिया सेट कुल10 अदद(सफेद धातु)
06. 01 जोड़ी हेयर क्लिप
07. 05 जोड़ी पायल (सफेद धातु)
08. 02 अदद मूर्ती बडी लक्ष्मी की (सफेद धातु)
09. 02 अदद लाकेट काली जी की मूर्ती(सफेद धातु)
10. 01-01 अदद लाकेट शंकर जी, कृष्ण जी, गाय व बछेड़े की मूर्ती(सफेद धातु)
11. 01 जोड़ी कटिया बाली(पीली धातु)
02. 02 अदद छापादार छोटा बाक्स (सफेद धातु)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. निरीक्षक श्री राजेश कुमार सिंह
02. उ0नि0 संजीव सिंह
03. का0 अभिषेक गुप्ता
04. का0 दिनेश सिंह
05. का0 मनोज कुमार
06. का0 अनुराग राजवंशी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 17.11.2024, थाना कोतवाली नगर

जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन की फर्जी बैनामा कराने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-290/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त 01. राजेन्द्र कुमार उर्फ झीन पुत्र स्व0 चिमनलाल निवासी मसकनवा थाना छपिया, जनपद गोण्डा को उसके दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी नदीम सिद्धकी पुत्र स्व0 हनीफ सिद्धकी निवासी आनन्दनगर पेरी बेलसर रोड़ गोण्डा द्वारा थाना कोतावली नगर को सूचना दिया की विपक्षीगण द्वारा कूटरचित अभिलेख तैयार कर धोखाधड़ी करके नजूल जमीन को फर्जी बैनामा करा लिया है। तहरीर के आधार थाना को0नगर पर मु0अ0सं0-290/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 17.11.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त राजेन्द्र कुमार उर्फ झीन पुत्र स्व0 चिमनलाल निवासी मसकनवा थाना छपिया, जनपद गोण्डा को उसके दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजेन्द्र कुमार उर्फ झीन पुत्र स्व0 चिमनलाल निवासी मसकनवा थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-290/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना को0 नगर गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 बृजेश कुमार गुप्ता

02. उ0नि0 रोहित रणवीर

03. का0 आदर्श तिवारी

04. का0 वीरेन्द्र वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 17.11.2024, थाना नवाबगंज

जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार, कब्जे से 08 पत्ता अल्प्राजोलम गोली बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (08 पत्ता अल्प्राजोलम) के साथ अभियुक्त सिराजुल पुत्र हासिम निवासी ग्राम मोलीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच को गांधी मैदान के पास सड़क के किनारे कस्बा नवाबगंज से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 08 पत्ता अल्प्राजोलम बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0स0-390/2024 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.11.2024 को थाना नवाबगंज के उ0नि0 उमेश सिंह मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि गांधी मैदान के पास सड़क के किनारे कस्बा नवाबगंज में अवैध मादक पदार्थ बेचने की सूचना प्राप्त हुआ। उक्त सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (08 पत्ता अल्प्राजोलम गोली) बरामद कर अभियुक्त सिराजुल पुत्र हासिम निवासी ग्राम मोलीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0स0-390/2024 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सिराजुल पुत्र हासिम निवासी ग्राम मोलीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-390/2024 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 08 पत्ता अल्प्राजोलम टैबलेट(अवैध मादक पदार्थ) बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उमेश सिंह
02. उ0नि0 उत्कर्ष कुमार पाण्डेय
03. हे0का0 विजय बहादुर यादव
04. का0 राहुल साहनी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 17.11.2024, थाना खरगपुर

जनपद गोण्डा।

थाना खरगपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 120 गोली अलप्राजोलम बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना खरगपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (120 गोली अलप्राजोलम) के साथ अभियुक्त पप्पू गोस्वामी पुत्र ननकऊ गोस्वामी नि0ग्रा0 बाबक पुरवा भटपी थाना खरगपुर जनपद गोण्डा को खटिकनपुरवा पुल के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 120 गोली अलप्राजोलम बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना खरगपुर में मु0अ0स0- 272/2024 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.11.2024 को थाना खरगपुर के उ0नि0 मृत्युंजय सिंह मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि ग्राम खटिकनपुरवा पुल के पास अवैध मादक पदार्थ बेचने की सूचना प्राप्त हुआ। उक्त सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (120 गोली अलप्राजोलम) बरामद कर अभियुक्त पप्पू गोस्वामी पुत्र ननकऊ गोस्वामी नि0ग्रा0 बाबक पुरवा भटपी थाना खरगपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना खरगपुर में मु0अ0स0- 272/2024 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. पप्पू गोस्वामी पुत्र ननकऊ गोस्वामी नि0ग्रा0 बाबक पुरवा भटपी थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 272/2024 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 120 गोली अलप्राजोलम टैबलेट(अवैध मादक पदार्थ) बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 मृत्युंजय सिंह

02. का0 आशीष यादव

03. का0 रोहित कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।